प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

पत्रांक 722 /डी0एल0आर0सी0/2024 दिनांक 05-01-2024

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 641/2023 सुमन चौहान एवं अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 641/2023 सुमन चौहान एवं अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 17.10.2023 को आदेश पारित किये गये है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 का सारवान अंश निम्नवत् हैः–

2. It is also the allegation of the applicant that entry of flood water of Yamuna in the above villages was not a natural calamity but was a man-made disaster which was the result of the shrinkage of the river channel due to deposit of silt etc., faulty flood control regulation and not raising the bund between the villages and river Yamuna. In this backgrounds, the applicants have prayed for compensation on the principle of 'No Fault Liability' and have placed reliance on the order dated 19.08.2016 passed in O.A. No. 03/2014 wherein in somewhat similar circumstances, compensation was awarded for the damage caused during the floods in Srinagar, Uttarakhand.

3. The original application reveals that a substantial issue relating to environment is involved, hence, we deem it proper to issue notice to the respondents. Applicants are directed to serve the respondents and file affidavit of service on the next date of hearing.

4. Praying for the immediate relief, applicant has submitted that after receding the flood water, there is sludge lying on the spot and dust is causing pollution and health hazards. Respondent no. 9, District Magistrate, Gautam Budh Nagar is directed to consider the above grievance of the applicant without any delay and take appropriate remedial measures.

5. List this matter on 09.01.2024.

1. **उपरोक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता हैडवर्कस खण्ड आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या 01/है0व0ख0/दिनांक 01.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया है किः–**

यमुना नदी पर ओखला बैराज निर्मित है। बैराज के गेटों का संचालन बैराज ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार किया जाता है। यमुना नदी में जल की मात्रा 100000 क्यूसेक से अधिक होने पर बैराज के गेटों को Free Flow स्थिति में कर दिया जाता है एवं जल की मात्रा 120000 क्यूसेक से अधिक होने पर बैराज के गेट पूर्णरूप से उठा दिये जाते है। बैराज के रेगुलेशन में कोई कमी नहीं थी। बैराज ने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य किया था।

ओखला बैराज के डाउनस्ट्रीम में यमुना नदी के बॉयें किनारे पर बने यमुना दोआब बन्ध की ऊँचाई बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बन्ध नदी के बाढ ऑकड़ों के आधार पर डिजाइन

होता है। इस वर्ष 2023 के बाढ़काल में नदी का पानी बन्ध की Toe तक ही पहुँच पाया था तथा बाढ़ ने किसी भी स्थान पर बन्ध को Cross नहीं किया।

2. **उपजिलाधिकारी सदर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि** आवेदक द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि 12 से 15 जुलाई 2023 में यमुना में बाढ़ के दौरान आई बाढ़ से यमुना नदी में सिवरेज खतरनाक रसायनिक अवशिष्ट बदबूदार कीचड, गाद और पोलीवेग के साथ यमुना का प्रदूषित पानी ग्रामों/आवासीय घरों में प्रवेश कर गया था और नुकसान हुआ था और अधिकारी बाढ का पानी उतरने के बाद कीचड, सूखी गाद को हटाने में विफल रहे, के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित ग्रामों दोस्तपुर मंगरौली खादर, चकमगरौला, असदुल्लापुर, छपरौली खादर, नगली बहरामपुर ग्राम गैर आबाद डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आते है व ग्राम नगली नगला आबाद ग्राम है। सिंचाई विभाग का बांध/पुस्ता बने होने के कारण सिवरेज खतरनाक रसायनिक अवशिष्ट बदबूदार कीचड, गाद और पोलीवेग के साथ यमुना का प्रदूषित पानी उपरोक्त ग्रामों/आवासीय घरों में प्रवेश नहीं कर पाया था। तहसील/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा बाढ से प्रभावित ग्रामों का दौरा व निरीक्षण किया गया था। एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 द्वारा बाढ प्रभावित क्षेत्रों में यथा सम्भव सहायता उपलब्ध करायी गयी थी व बाढ में फसे व्यक्तियों एवं पशुओं को बाढ से सकुशल बाहर निकाला गया था। यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त गैर आबाद ग्रामों में डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बने फार्म हाउस पर नोएडा विकास प्राधिकरण/सिंचाई विभाग के साथ निरन्तर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः आवेदक का कथन पोषणीय नहीं है।

उपजिलाधिकारी सदर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित ग्रामों में दोस्तपुर मंगरौली खादर, चकमगरौला, असदुल्लापुर, छपरौली खादर, नगली नंगला, नगली बहरामपुर में यमुना के बाढ के पानी का प्रवेश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा थी जो गाद आदि जमा होने के कारण नदी मार्ग के सिकुडने का परिणाम थी दोषपूर्ण बाढ नियंत्रण विनिमयन, ग्रामों व नदी के बीच बांध को ऊंचा न करना इसका प्रमुख कारण है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाढ मानव निर्मित आपदा नहीं अपितु प्राकृतिक आपदा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम नगली नगला को छोड़कर उपरोक्त ग्राम गैर आबाद (डूब क्षेत्र) है। बांध की ऊँचाई पर्याप्त होने के कारण ही बाढ का पानी बांध को पार नहीं कर पाया।

3. **उपजिलाधिकारी दादरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 3093/रा0नि0–बाढ–सूचना/2024 दिनांक 04.01.2024** में उल्लेख किया है कि माह जुलाई 2023 में अत्यधिक वर्षा होने तथा हथनी कुण्ड बैराज से पानी छोडे जाने के कारण जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी एवं हिण्डन नदी में जल स्तर बढने से बाढ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यमुना नदी में जल स्तर के बढने से तहसील दादरी के ग्राम असगरपुर जागीर एवं रायपुर खादर के आस–पास पानी भर जाने के कारण बाढ ग्रस्त हो गये थे, जिसमें राहत हेतु 05 बाढ चौकी बनाई गयी तथा जिससे लगभग 210 लोग बाढ से प्रभावित हुए थे, जिनको विस्थापित कराते हुए उनके खान–पान की व्यवस्था भी कराई गयी।

इसी प्रकार हिण्डन नदी में जल स्तर बढने से तहसील दादरी के ग्राम हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, छजारसी, युसुफपुर चक शाहबेरी, चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी व अलावर्दीपुर कुल 07 ग्रामों के आस–पास पानी भर जाने के कारण बाढ ग्रस्त हो गये थे, जिसमें राहत हेतु 11 बाढ चौकी बनाई गई तथा जिससे लगभग 2300–2500 लोग बाढ से

प्रभावित हुए थे, जिनको विस्थापित कराते हुए उनके खान–पान की व्यवस्था भी कराई गयी तथा विस्थापित लोगों के प्राथमिक उपचार हेतु डाक्टरों की टीम भी लगाई गयी थी।

4. **परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)–।। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि जुलाई 2023 में यमुना नदी में आई बाढ के कारण नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण निम्नवत् है:–**

(1) नोएडा प्राधिकरण द्वारा निराश्रित जनमानस को रहने के लिये आश्रय स्थल बनाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

- मनोरंजन केन्द्र ग्राम–नगली वाजिदपुर
- बारातघर बिहारी मार्किट ग्राम–नगली वाजिदपुर
- बारातघर सैक्टर–135
- बारातघर ग्राम–छपरौली
- बारातघर ग्राम–असगरपुर
- बारातघर ग्राम–नगली साखपुर

(2) नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये आश्रय स्थलों पर अतिरिक्त 10 मोबाईल टॉयलेट लगवाये गये।

(3) आश्रय स्थलों की सफाई दो पालियों में करवाई गई।

(4) सभी आश्रय स्थलों पर फॉगिंग एवं नालियों में एन्टी लार्वा स्प्रे का कार्य कराया गया।

(5) डूब क्षेत्र के जल भराव वाले स्थलों पर प्रभावित क्षेत्रों में एण्टी लार्वा स्प्रे एवं फॉगिंग का कार्य कराया गया।

(6) डूब क्षेत्र में कृषकों के बाढ़ में फंसे हुए पशुओं को निकालने में भी मशीनरी एवं कर्मियों को लगाकर मदद की गई।

5. जिला मलेरिया अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा बाढ राहत कार्यो के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई सूचना दिनांक 28.07.2023 की प्रति संलग्न है।
आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

प्रेषित,

जिलाधिकारी,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 01 /है0व0ख0/ दिनांकः 01/01/2024

विषय– मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष O. A. No. 641/2023 Suman Chauhan and 49 Others vs State of U.P. & Others के संबंध में।
(यमुना के दूषित जल से प्रभावित सैक्टर 137,167,92,150,151,93,151ए,135 ग्राम दौपपुर मंगरौली खादर, चकमंगरौली, अस्दुलापुर, छपरौली खादर एवं नगला नगली आदि गॉव से संवंधित)

महोदय,

उपरोक्त विषयक O.A. No. 641/2023 Suman Chauhan and 49 Others vs State of U.P. & Others में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश, जिसका सारवान भाग निम्नवत् है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

It is also the allegation of the applicant that entry of flood water of Yamuna in the above villages was not a natural calamity but was a manmade disaster which was the result of the shrinkage of the river channel due to deposit of silt etc. faulty flood control regulation and not raising the bund between the villages and river Yamuna. In this backgrounds, the applicants have prayed for compensation on the principle of ' No Fault Liability' and have placed reliance on the order dated 19.08.2016 passed in O.A. No. 03/2014 wherein in somewhat similar circumstances, compensation was awared for the damage caused during the floods in Srinagar, Uttarakhand.

आपके द्वारा दिनांक 30.12.2023 को आहूत बैठक में मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों में उल्लिखित दो बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की वांछना की गई, जो निम्नानुसार हैः–

1. यमुना नदी पर ओखला बैराज निर्मित है। बैराज के गेटों का संचालन बैराज ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार किया जाता है। यमुना नदी में जल की मात्रा 100000 क्यूसेक से अधिक होने पर वैराज के गेटों को Free Flow स्थिति में कर दिया जाता है एवं जल की मात्रा 120000 क्यूसेक से अधिक होने पर बैराज के गेट पूर्णरूप से उठा दिये जाते हैं। बैराज के रेगुलेशन में कोई कमी नहीं थी। वैराज ने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य किया था।
2. ओखला बैराज के डाउनस्ट्रीम में यमुना नदी के बॉयें किनारे पर बने यमुना दोआब बन्ध की ऊँचाई वढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बन्ध नदी के वाढ ऑकड़ों के आधार पर डिजाइन होता है। इस वर्ष 2023 के बाढ़काल में नदी का पानी वन्ध की Toe तक ही पहुँच पाया था तथा वाढ़ ने किसी भी स्थान पर बन्ध को Cross नहीं किया।

भवदीय

01/01/2024

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

01/01/2024

पत्रांक /हैवखं/दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक अभियन्ता–प्रथम, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके द्वारा दूरभाष पर उपलब्ध करायी गई सूचना के क्रम में।
2. सहायक अभियन्ता–तृतीय हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 595/स0अ0तृतीय दिनांक 30.12.2023 के संदर्भ में।

अधिशासी अभियंता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली–25

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक श्री मनोज सिंह, श्री अभय गुप्ता, श्री अमिताभ देव और श्री सुमित कुमार ने मूल आवेदन कमांक 641/2023 सुमन चौहान व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने तत्काल राहत की प्रार्थना करते हुए बाढ का पानी उतरने के बाद मौके पर कीचड पड़ा हुआ है और धूल–प्रदूषण स्वास्थ के लिए खतरा पैदा कर रही है। आवेदक को उपरोक्त शिकायत पर बिना किसी देरी के विचार कर उचित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके राम्बन्ध में प्रार्थना पत्र लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जॉच आख्या निम्न प्रकार है:–

1. बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि 12 से 15 जुलाई 2023 में यमुना के बाढ के दौरान आई बाढ से यमुना नदी में सिवरेज खतरनाक रसायनिक अवशिष्ट बदवूदार कीचड, गांद और पोलीवेग के साथ यमुना का प्रदुशित पानी उपरोक्त ग्रामों/आवासीय घरों में प्रवेश कर गया था और नुकसान हुआ था और अधिकारी बाढ का पानी उतरने के बाद कीचड, सूकी गाद को हटाने में विफल रहें के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्रामों दोस्तपुर मंगरौली खादर, चकमगरौला, असदुल्लापुर, छपरौली खादर, नगली बहरामपुर उपरोक्त ग्राम गैर आबाद डूब क्षेत्र के अर्न्तगत आते है व ग्राम नगली नगला आबाद ग्राम है। सिचाई विभाग का बाध/पुस्ता बने होने के कारण सिवरेज खतरनाक रसायनिक अवशिष्ट बदवूदार कीचड, गांद और पोलीवेग के साथ यमुना का प्रदुशित पानी उपरोक्त ग्रामों/आवासीय घरों में प्रवेश नहीं कर पाया था। तहसील/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा बाढ से प्रभावित ग्रामों का दौरा व निरीक्षण किया गया था। एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 द्वारा वाढ प्रभावित क्षेत्रों में यथा सम्भव सहायता उपलब्ध करायी गयी थी व बाढ में फसे व्यक्तियों एवं पशुओं को बाढ से सकुशल बाहर निकाला गया था। महोदय को यहा यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त गैर आवाद ग्रामों में डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बने फार्म हाउस पर नोएडा विकास प्राधिकरण/सिचाई विभाग के साथ निरन्तर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः आवेदक का कथन पोषणीय नहीं है।

2. बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्रामों दोस्तपुर मंगरौली खादर, चकमगरौला, असदुल्लापुर, छपरौली खादर, नगली नगला, नगली बहरामपुर यमुना के बाढ के पानी का प्रवेश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा थी जो गाद आदि जमा होने के कारण नदी मार्ग के सुकडने का परिणाम थी दोषपूर्ण बाढ नियत्रंण विनिमयन, ग्रामों व नदी के बीच बाध को ऊँचा न करना इसका प्रमुख कारण है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाढ मानव निर्मित आपदा नहीं अपितु प्राकृतिक आपदा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम नगली नगला को छोडकर उपरोक्त ग्राम गैर आबाद (डूब क्षेत्र) हैं। बाध की ऊँचाई पर्याप्त होने के कारण ही बाढ का पानी बाध को पार नहीं कर पाया है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

Tahes) SDM (S)

कार्यालय उप जिलाधिकारी दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक– 3093 / रा0नि–बाढ–सूचना / 2024, दिनांक – 04–01– 2024

जिलाधिकारी ,
गौतमबुद्धनगर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–641 / 2023 सुमन चौहान एंव अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 17–10–2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–641 / 2023 सुमन चौहान एंव अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 17–10–2023 के सम्बन्ध में माह जुलाई 2023 में यमुना नदी में आई बाढ के सम्बन्ध में आप द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के कम में तहसील से आख्या प्राप्त की गयी।

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–641 / 2023 सुमन चौहान एंव अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनांक 17–10–2023 में अंकित ग्राम दोस्तपुर मंगरौली खादर, चकमगरौला, असदुल्लापुर, छपरौली खादर, नंगली नंगला व नगली बहरामपुर तहसील सदर जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत है। उक्त ग्रामों के सम्बन्ध में तहसील सदर से आख्या अपेक्षित है।

यह भी अवगत कराना है कि माह जुलाई 2023 में अत्याधिक वर्षा होने तथा हथनी कुण्ड बैराज से पानी छोडे जाने के कारण जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी एंव हिण्ड नदी में जल स्तर बढने से बाढ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यमुना नदी में जल स्तर से बढने से तहसील दादरी के ग्राम असगरपुर जागीर एंव रायपुर खादर के आस–पास पानी भर जाने के कारण बाढ ग्रस्त हो गये थे, जिसमें राहत हेतु 05 बाढ चौकी बनाई गयी तथा जिससे लगभग 210 लोग बाढ से प्रभावित हुए थे, जिनको विस्थापित कराते हुए उनके खान–पान की व्यवस्था भी कराई गयी।

इसी प्रकार हिण्डन नदी में जल स्तर से बढने से तहसील दादरी के ग्राम हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, छजारसी, युसुफपुर चक शाहबेरी, चिपियाना खर्द उर्फ तिगरी व अलावर्दीपुर कुल 07 ग्रामें के आस–पास पानी भर जाने के कारण बाढ ग्रस्त हो गये थे, जिसमें राहत हेतु 11 बाढ चौकी बनाई गयी तथा जिससे लगभग 2300–2500 लोग बाढ से प्रभावित हुए थे, जिनको विस्थापित कराते हुए उनके खान–पान की व्यवस्था भी कराई गयी तथा विस्थापित लोगों के प्राथमिक उपचार हेतु डाक्टरों की टीम भी लगाई गयी थी, जिसकी प्रतिदिन की सूचना भी जिला स्तर पर प्रेषित की गयी थी।

अतः वांछित आख्या तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
दादरी।

उप जिलाधिकारी,
दादरी (गौतमबुद्धनगर)।

जुलाई 2023 में यमुना नदी में आई बाढ़ के दौरान नौएडा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण:–

1. नौएडा प्राधिकरण द्वारा निराश्रित जनमानस को रहने के लिये आश्रय स्थल बनाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

- मनोरंजन केन्द्र ग्राम–नगली वाजिदपुर
- बारातघर बिहारी मार्किट ग्राम–नगली वाजिदपुर
- बारातघर सैक्टर–135
- बारातघर ग्राम–छपरौली
- बारातघर ग्राम–असगरपुर
- बारातघर ग्राम–नगली साखपुर

2. नौएडा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये आश्रय स्थलों पर अतिरिक्त 10 मोबाईल टॉयलेट लगवाये गये।
3. आश्रय स्थलों की सफाई दो पालियों में करवाई गई।
4. सभी आश्रय स्थलों पर फॉगिंग एवं नालियों में एन्टी लार्वा स्प्रे का कार्य कराया गया।
5. डूब क्षेत्र के जल भराव वाले स्थलों पर प्रभावित क्षेत्रों में एन्टी लार्वा स्प्रे एवं फॉगिंग का कार्य कराया गया।
6. डूब क्षेत्र में कृषकों के बाढ़ में फंसे हुए पशुओं को निकालने में भी मशीनरी एवं कर्मियों को लगााकर मदद की गई।

29/12/2023
स्वास्थ्य निरीक्षक
(जन स्वास्थ्य)–।।
नौएडा।

29.12.2023
परियोजना अभियन्ता
(जन स्वास्थ्य)–।।
नौएडा।

बाढ़ राहत कार्य की दै139 सूचना–स्वास्थ्य विभाग।

ब्लॉक का नाम:– दिनांक:– 28/07/2023

प्रभावित सा0स्वा0 / प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की संख्या – 01
कुल स्थापित चौकियों की संख्या – 10
प्रभावित बाढ़ चौकियों की संख्या – 08
प्रभावित ग्रामों की संख्या – 09
प्रभावित जनसंख्या ग्रामवार – 3,50,000
राहत केन्द्रों पर प्रभावित जनसंख्या – 1707
बाढ़ चौकियों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या – 28
चिकित्सीय दलों की संख्या – 10
संचल चिकित्सीय दलों की संख्या – 10

कृत कार्यवाही:–

क्रसं0	रोग का विवरण	दैनिक		क्रमिक	
		ग्रसित	मृतक	ग्रसित	मृतक
1	दस्त (Acute Diarrhoeal Disease including acute gastroenteritis)	0	0	0	0
2	पेचिस (Bacillary Dysentery)	0	0	0	0
3	हैजा (Cholera)				
4	पीलिया (Viral Hepatitis)				
5	बुखार रोगी (Fever)	04	0	990	0
6	मलेरिया (Malaria)	0	0	0	0
7	खसरा (Measles)	0	0	0	0
8	सर्प दंश (Snake Bite)	0	0	0	0
9	चर्म रोग (Skin Disease)	0	0	96	0
10	अन्य रोगी (Other Diseases)	108	—	3949	—
11	कुल उपचारित रोगी	112	0	5035	0

क्रसं0	कार्यवाही का विवरण	दैनिक	क्रमिक
12	वितरित क्लोरीन गोली	0	0
13	ओ0आर0एस0 पैकिट वितरण	154	4176
14	कूप विसंक्रमण	0	0
15	फॉगिंग किये गये ग्रामों की संख्या	04	56
16	कीटनाशक छिड़काव किये गये ग्रामों की संख्या	04	56

ब्लॉक स्तर पर स्टॉक पोजीशन:–

क्रसं0	औषधि / सामाग्री का विवरण	दैनिक	क्रमिक
1	ब्लीचिंग पाउडर	0	100kg
2	ओ0आर0एस0 पैकट्स	0	0
3	क्लोरीन टैबलेट्स	0	0
4	ए0एस0वी0	0	0
5	कीट नाशक	0	0
6	ए0आर0वी0	0	0

जिला मलेरिया अधिकारी
District Malaria Officer
गौतमबुद्धनगर।
Gautam Budh Nagar